न्यायालय : उपमन्यु शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर, म.प्र

1	**Registration No.**	**RCT /6287/2022**
2	**Filling No.**	**RCT/20205/2022**
3	**CNR No.**	**MPO701-025473-2022**
4	**Registration Date**	**11-10-2022**

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ग्वालियर

बनाम

कमलेश कोरी पुत्र रामकिशोर कोरी, आयु–23 वर्ष, निवासी– मुरार थाने के सामने बंटी त्रिवेदी का मकान नदीपार टाल, ग्वालियर, म.प्र.

22.06.2026

राज्य द्वारा श्री विजय कुमार ए.डी.पी.ओ उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त **कमलेश कोरी** की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त **कमलेश कोरी** की उपस्थिति हेतु जारी गिरफ्तारी वारंट इस टीप के साथ प्राप्त कि आरोपी का पता किया तो कोई पता नहीं चल सका।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित होकर **चालान प्रस्तुति** दिनांक से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु चला आ रहा है तथा अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध वारंट जारी किये गए थे तथा तभी से लगातार उसकी उपस्थिति हेतु वारंट जारी किये गये हैं, लेकिन उक्त अभियुक्त की उपस्थिति सुनिशिचित नहीं हो पा रही है, जिससे न्यायालयीन समय का अपव्यय हो रहा है। पूर्व में भी उक्त अभियुक्त की उपस्थिति हेतु वारंट जारी किये जा चुके हैं, जिसके पश्चात् भी वह प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त फरार है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

अतः अभियुक्त **कमलेश कोरी** के विरूद्ध धारा 299 द0प्र0स0 के तहत कार्यवाही की जाती है। उसके विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया जावे।

कोर्ट मोहर्रर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध की जानकारी पृथक से **फरारी वारंट** रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से टीप अंकित हो कि अभियुक्त **कमलेश कोरी** फरार है। अतः प्रकरण का अभिलेख नष्ट न किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार संचित किया जावे।

सही / —
उपमन्यु शुक्ला
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर म.प्र.

UPAMANYU SHUKLA

Digitally signed by UPAMANYU SHUKLA
Date: 2026.06.22 16:53:16 +0530